

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 59/2020

अपीलार्थी
श्री रूपाराम पुत्र श्री गमाजी
जाति कलबी
निवासी कोजरा
तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोजेन्ट
सरकार जरिये
तहसीलदार पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री शैतान भाटी अधिवक्ता अपीलांत।
2. श्री तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।


निर्णय

दिनांक : 06.11.2020

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 72/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2019 के विरुद्ध दिनांक 06.10.2020 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांत अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोजेन्ट को सम्मन जारी किया गया।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री शैतान भाटी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा ग्राम कोजरा पटवार हल्का कोजरा तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.08 बीघा किस्म गै.मु. गोचर पर अपीलार्थी को नये सर अतिक्रमी मान कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांत को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांत पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांत को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रुपये 50/- का जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये। जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये गये हैं जिसमें पटवारी द्वारा पूर्व में मौके से बेदखल करने का कथन सिद्ध नहीं होता है। अपीलान्त को जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ना ही अपीलांत को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलांत द्वारा न तो कोई अतिक्रमण किया गया है या विवादित भूमि पर कब्जा किया गया है।




जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रथम पेशी पर ही उसके विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1474, आर.आर.डी. 1993 पेज 465, एवं आर.आर.डी. 2001 पेज 401 प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से बहस में परोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काशत किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है । अपीलान्त को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है । अपीलान्त आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नहीं हो सकती । राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है । यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जावे ।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गै.मु.गोचर दर्ज है । अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2076 रबी में अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसमें पश्चात्पूर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी नहीं किया गया है । विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांत को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलांत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ । तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है । अपीलान्त अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पश्चात्पूर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये हैं मानने योग्य प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने पर उसकी उपस्थिति अंकित है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन अपने आदेशिका में किया गया है कि अपीलान्त हाजिर है । अलग से लिखे गये निर्णय में उसे उपस्थित बताया गया है । पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पर अपने हस्ताक्षर दिनांक 19.12.2019 को किये जाने पाये जाते हैं ।




dk
जिला कलेक्टर, जयपुर

पटवारी द्वारा पूर्व मे अतिक्रमण हटाने बाबत कथन अपनी रिपोर्ट मे नहीं किया गया है। पत्रावली पर पूर्ववर्ती अतिक्रमण के साक्ष्य मौजूद नहीं है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा जुर्माना राशि रुपये 50/- (अक्षरे पचास) पटवारी हल्का को जमा करा दिये गये है ।

अपीलांट गरीब व्यक्ति है इसलिए उस पर नरमाई का रुख अपनाया जाना विधि सम्मत है उसके कारागृह मे रहने के कारण उसका परिवार मानसिक एवं आर्थिक पीडा भुगतने को विवश होगा जो न्याय के विपरित होगा । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2005(2) पेज 1474 रिविजन नं. 51 झुन्झुनु-2002 जो माननीय पी.सी.बलाई सदस्य, राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.5.2005 को निर्णित की गई उसके पेरा संख्या 7 मे भी नायब तहसीलदार, मलसीसर के सिविल कारावास के निर्णय को अपास्त किया गया है । आरआरडी 1996 पेज 585 की नजीर से भी हम पूर्णतया सहमत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पारित निर्णय मे जुर्माना एवं बेदखली का आदेश यथावत कायम रखते हुए अपीलांट का अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करें।

आदेश आज दिनांक 06.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सरोही